



कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग
☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribagwest@rediffmail.com & dfo-hazaribagwest@gov.in

दिनांक: 01/01/2021

पत्रांक: 02

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषय:- एन0टी0पी0सी0 पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2090 दिनांक 08.09.2020, एवं पत्रांक 2102 दिनांक 10.09.2020।

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि एन0टी0पी0सी0 पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर आपके द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 60 दिनांक 21.12.2020 द्वारा समर्पित किया है, (छाया प्रति संलग्न) जिसकी सूचना निम्नवत दी जा रही है :-

क0 सं0	आपके द्वारा की गई पृच्छा	प्रयोक्ता अभिकरण का निराकरण	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का
1	आपके पत्रांक 2102 दिनांक 10.09.2020 द्वारा विषयक प्रस्ताव के भूमि विवरणी में कुल 08 ग्रामों की अपयोजित होनेवाली वनभूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि की विवरणी दी गई है, परन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा मात्र पांच ग्राम बसरिया, कण्डाबेर, सिरमा, नावाडीह एवं बारियातु में अपयोजित होनेवाली जंगल झाड़ी भूमि का ही वनाधिकार प्रमाण पत्र एवं अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उक्त ग्रामों में अपयोजित होनेवाली वनभूमि का FRA प्रमाण पत्र अप्राप्त है।	MOEF के पत्र क्रमांक 11-43/2013-FC दिनांक 26/02/2019 के अनुसार FRA की in-principle approval के समय आवश्यकता नहीं है (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न (Annexure-1) 05 ग्रामों का FRA प्राप्त है। दो ग्रामों का FRA अप्राप्त है। एक ग्राम में जंगल झाड़ी भूमि नहीं है। (Annexure-2)	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का MOEF के पत्र क्रमांक 11-43/2013-FC दिनांक 26/02/2020 (Annexure-I के रूप में संलग्न) अनुसार FRA प्रमाणपत्र approval के समय आवश्यक तत्संबंधी वचनबद्धता समर्पित किया गया है। साथ ही प्रयोक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त ग्रामों का FRA प्राप्त है। दो ग्रामों का FRA अप्राप्त है। एक ग्राम में जंगल झाड़ी भूमि नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रमाण पत्र समर्पित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दिया गया है जो Annexure-2 में संलग्न

2	आपके पत्रांक 2090 दिनांक 08.09.2020 द्वारा विषयक प्रस्ताव के भूमि विवरणी में कुल 07 ग्रामों की जंगल झाड़ी भूमि की विवरणी दी गई है परन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत जंगल झाड़ी के अनापति प्रमाण पत्र में मात्र पांच ग्राम (बसरिया, कण्डाबेर, सिरमा, नावाडीह एवं बरियातु) का ही अनापति निर्गत किया गया है। शेष बचे दो ग्राम बेलतु एवं उरुब में अपयोजित होनेवाली जंगल झाड़ी भूमि का उपायुक्त, हजारीबाग से निर्गत अनापति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	07 ग्रामों का संलग्न है। 1 ग्राम में जंगल झाड़ी भूमि नहीं है। (Annexure-3) जंगल - झाड़ी अनापति भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :-					कुल आठ ग्रामों में से सात ग्राम यथा - बसरिया, कण्डाबेर, सिरमा, नावाडीह, बरियातु, बेलतु, उरुब जंगल झाड़ी भूमि का उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। अंचलाधिकारी, बडकागाव द्वारा सत्यापित भूमि विवरणी में मौजा जबरामें जंगल झाड़ी भूमि नहीं होने के कारण अनापति नहीं दी गयी है, जो अनुलग्नक- 04 में संलग्न है।	
		क0 स0	ग्राम का नाम	खाता संख्या	उपायुक्त का पत्र क्रमांक एवं दिनांक	प्लॉट संख्या		रकबा (एकड़)
		01	बसरिया	05	1308, 13.09.2019	2, 10 एवं 12		3.82
		02	कण्डाबेर	110	1308, 13.09.2019	197, 271, 431, 444, 493, 527, 545		6.15
		03	सिरमा	12	1308, 13.09.2019	296, 97(P), 144, 195, 240, 245, 247, 291		9.76
		04	नावाडीह	3	1308, 13.09.2019	152(P), 162(P), 174(P), 187(P), 207, 218(P), 237(P), 316		12.25
		05	बरियातु	155	1308, 13.09.2019	21, 50		0.58
		06	बेलतु	190	2531, 16.12.2020	81(P), 143(P), 198(P), 214, 222(P)		8.52 (3, 448 हे 0)
07	उरुब	49	2530, 16.12.2020	635(P), 661, 666, 677(P), 669(P)	23.55 (9, 531)			

अतः पृच्छा का निराकरण करते हुए प्रस्ताव की मूल आठ प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निराकरण प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

आपका विश्वास,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल